न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/238/2016

उनवान

1. हुकमा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी धुंवाला, (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सायरी पत्नी हीरा गुर्जर निवासी धुंवाला, (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. ईश्वर पुत्र हीरा गुर्जर निवासी धुंवाला, (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमणी पत्नी भोजा गुर्जर निवासी धुंवाला (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा
3. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 167/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.5..2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुकेश जैन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री कमलेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 3 के संयुक्त स्वामित्व , आधिपत्य व खातेदारी अधिकारों की आराजियात मौजा धुंवाला (क) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसके खाता संख्या 375 होकर आराजी नम्बर 151 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 152 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 157 रकबा 07 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2672 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा है। जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा इसी मुताबिक वादिया एवं प्रतिवादी संख्या1 लगायत 3 शामलाती रूप से अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते हुए चले आ रहे है। उपरोक्त आराजियात का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य अपने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने में, घास आदि लेने तथा लगान जमा कराने में विवाद बना रहता है। जिस पर वादिया ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से सम्पर्क कर अपने अपने हक हिस्से की आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर विभाजन करा अलग से अपने अपने खाता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हर बार टालमटोल करते आ रहे, जिस पर वादिया ने अंतिम बार दिनांक 25.6.2012 को प्रतिवादीगण सहमति से विभाजन करने को कहा परन्तु वे इंकार हो गये । अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इस आशय की विभाजन की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र में वर्णित हक हिस्से अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विभाजन किया जाकर वादिया का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंक किया जाकर लगान अलग अलग तय कराया जावे एवं डिक्री से बंटवाडे में प्राप्त आराजियात का कब्जा दिलाया जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में दिनांक 14.7.2016 की तारीख पेशी नियत थी व अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत की तारीख पेशी के सम्मन प्राप्त नहीं हुए थे व मामला प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस हेतु होने से दिनांक 14.7.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कहा गया कि जब भी जरूरत होगी बुला लिया जायेगा। दिनांक 17.8.2016 को पटवार हल्का के पास जाने व जमाबंदी की नकल फसली ऋण बीमा हेतु जरूरत होने से प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई इस पर अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 414/2012 (285/2012) राजस्व प्रार्थना पत्र श्रीमती नन्दू बनाम सायर व अन्य होकर मामले में स्थगन आदेश होने व वाद पत्र विचाराधीन होने से उक्त प्रकरण को कन्सोलिडेट करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके जवाब/बहस हेतु प्रकरण नियत था। जिसका निस्तारण किये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवाडा आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया जिसके सम्मन/नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं मिले । जिससे अपीलार्थीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सके व अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामलें में निर्णय व प्रारंभिक डिक्री तथा निर्णय व अंतिम डिक्री एक ही दिन में पारित की गई है । बंटवाडा प्रस्ताव अपीलार्थीगण की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है व अंतिम डिक्री भी अपीलार्थीगण को बिना सुने ही जारी की गई है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि माननीय सुप्रिम कोर्ट के प्रतिपादित निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जालोर सिंह में पक्षकार की सहमति के बिना लोक अदालत में निस्तारण शून्य माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थीगण को सुने एवं जवाब तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित । प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं।

10. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर प्रकरण दिनांक 16.7.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण जवाब दावा में लंबित था उसी दौरान दिनांक 26.9.2013 को प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण जवाब/बहस हेतु लंबित चल रहा था। दिनांक 10.3.2016 को प्रकरण उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस हेतु ही लंबित था। जिसमें वादी को अंतिम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.7.2016 नियत की गई। तारीख पेशी दिनांक 14. 7.2016 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प धुवाला (क) पर रखा गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने बाबत उभयपक्ष को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है । अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को इसके बारे में नोटिस द्वारा सूचित करते।

12. अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हो पाया था। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के उपरान्त तनकियात कायम की जाती एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नैसार्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना करते हुए उपलबध साक्ष्य दस्तावेज, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है एवं न ही उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया है।

13. प्रकरण में दिनांक 20.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प धुवाला (क) में रखा जाकर बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एवं विधिक प्रकिया का पालन किये बिना ही निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित करते । उसके उपरान्त राजस्थान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम के नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश के उपरान्त उपलब्ध बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है उस बंटवाडा प्रस्ताव को तैयार किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को किस तारीख को आदेशित किया गया था। इस बारे में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई अंकन नहीं है। बंटवाडा प्रस्ताव बाबत कोई प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की जाकर कैम्प में पटवारी हल्का धुंवाला (क) को पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाना प्रकट होता है। मौका पर्चा दिनांक 20.5.2016 पर पटवारी हल्का धुंवाला (क) के ही हस्ताक्षर हैं जो राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम के नियम 18 से 21 की अनुपालना में नहीं माना जा सकता। अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री भी पारित नहीं की गई है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करें तदुपरान्त प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

21 की पालना में संबंधित तहसीलदार से तैयार करवाया जाकर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.10.19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★